पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक-12.09.2024

दिनांक 11/12.09.2024 को थाना गोमतीनगर 03, बंथरा 02, विकासनगर 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 06 अभियुक्त गिरफ्तार।

जोन-पूर्वी

थाना गोमतीनगर -दिनांक 12.09.2024 थाना गोमतीनगर द्वारा बताया गया कि वादिनी श्रीमती जूही सिंह उर्फ प्रीती सिंह पत्नी राहुल सिंह निवासिनी 5/463 विरामखण्ड थाना गोमतीनगर लखनऊ ने थाना गोमतीनगर पर सूचना दी कि दिनांक 11.09.2024 को समय करीब रात्रि 10.00 बजे वादिनी के पति राहुल सिंह पुत्र स्व0 श्री भारद्वाज सिंह से मिलने धनन्जय सिंह पुत्र राम सहोदय सिंह निवासी 6/237 विपुल खण्ड गोमतीनगर वादिनी के निवास अपनी होंडा सिटी गाडी नं0 यू0पी0 32 एम0एफ0 0060 से वादिनी के घर के बाहर गाडी में बैठकर बातचीत कर रहे थे तभी 4-5 लोग अज्ञात डण्डा व देशी कट्टा लेकर आये थे,जिसमें वादिनी के पति राहुल सिंह को व धनन्जय सिंह को जान से मारने की नियत से तीन फायर किये जिसमें धनन्जय सिंह घायल हो गये तथा राहुल बाल बाल बचे गये । इसके बाद भागने की कोशिश की तब डण्डो व कट्टो की बटो से मारा गया । धनन्जय सिंह व राहुल के शरीर में काफी चोटे आई है,2-3 दिन पूर्व अविनाश सिंह उर्फ सिन्कू सिंह निवासी ग्रीन वुड IX फ्लैट नं0 901 थाना गोमतीनगर लखनऊ का निवासी है,जिसके द्वारा वादिनी के पति राहुल सिंह व धनन्जय सिंह को जान से मारने की धमकी दी गयी थी । जिसका अंजाम अविनाश सिंह उर्फ सिन्कू द्वारा दिनांक 11.09.2024 को समय करीब रात्रि 10.00 बजे चार अज्ञात लोगो के साथ आपसी षड़यन्त्र करके घटना को अंजाम दिया गया है। **इस सूचना पर थाना गोमतीनगर पर मु0अ0सं0 449/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/61(2)/109/115(2)/351(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-दक्षिणी

थाना सुशान्त गोल्फ सिटी -दिनांक 12.09.2024 थाना सुशान्त गोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री छोटेलाल पुत्र स्व0 नन्हे निवासी पासिन ढकवा मलूकपुर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 11.09.2024 को समय करीब रात्रि 18.30 बजे मेरा पौत्र अमित कुमार रामखेलावन घर से बाहर पेशाब करने गया था कि इतने में गाँव के निवासी शत्रोहन पुत्र बुद्ध,मनभरन पुत्र शत्रोहन,रवि पुत्र मनभरन, रमाशंकर पुत्र मनभरन, नीतू पुत्री मनभरन ने मिलकर दो वर्ष पूर्व के मुकदमें को लेकर जान से मार दिया । **इस सूचना पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 484/2024 धारा 191(2)/191(3)/352/103(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-उत्तरी

थाना गाजीपुर-दिनांक12.09.2024 को थाना गाजीपुर द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना चिन्डियाल पत्नी जनार्दन प्रसाद चिन्डियाल निवासिनी ए-1393/1 इन्दिरानगर थाना गाजीपुर लखनऊ ने थाना गाजीपुर पर सूचना दिया कि दिनांक 11.09.2024 को समय करीब शाम 07.00 बजे मैं अपने पड़ोसी श्री विनोद कुमार शर्मा निवासी ए-1397/4 इन्दिरानगर में पहुंची तो घर में कोई दिखाई नही दिया ऊपर कमरे में देखा तो आयुषी शर्मा उम्र करीब 33 वर्ष पुत्री श्री विनोद कुमार शर्मा ने छत के पंखे से दुपट्टे से फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है,उसके पिता पैरालाइस है । **इस सूचना पर उ0नि0 श्री धनपाल मो0नं0-7234000121 थाना गाजीपुर द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि आयुषी शर्मा उम्र करीब 33 वर्ष अहमामऊ में आई0आई0आई0टी0 स्कूल में एसोसिएट प्रोफेसर के पद तैनात थी,जो अपने पैरालाइस पिता के साथ ए-1397/4 इन्दिरानगर में निवास करती थी । मृतिका आयुषी शर्मा अविवाहित थी। वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

जोन-पश्चिमी

थाना सआदतगंज-दिनांक12.09.2024 को थाना सआदतगंज द्वारा बताया गया कि श्रीमती रंजना यादव पत्नी श्याम लाल यादव निवासिनी किराये का मकान 366/001 अपिया नगर किशोरगंज लखनऊ ने थाना सआदतगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 11.09.2024 को मेरी पुत्री कोमल यादव उम्र करीब 21 वर्ष पत्नी आदर्श यादव द्वारा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली गयी है। **इस सूचना पर थाना सआदतगंज द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**

जोन-उत्तरी

थाना अलीगंज -दिनांक 12.09.2024 थाना अलीगंज द्वारा बताया गया कि वादी श्री कमरुद्दीन पुत्र श्री मुन्ना निवासी यासीन बाग फैजुल्लागंज थाना मड़ियांव लखनऊ ने थाना अलीगंज पर सूचना दिया कि दिनांक 10.09.2024 को समय करीब रात्रि 07.00 बजे वादी के बहनोई शहनवाज पुत्र आबिद अली निवासी रेवरी सराय थाना सिधौंली जनपद सीतापुर को एक क्रेटा कार यू0पी0 32 एन0ए0 6611 के चालक द्वारा तेज गति और लापरवाहीपूर्वक टक्कर मार दी,और कार चालक मौके से भाग गया। वादी के बहनोई को मेडिकल कॉलेज इलाज हेतु ले जाया गया परन्तु वहाँ डॉक्टरो द्वारा उन्हे मृत घोषित कर दिया। **इस सूचना पर थाना अलीगंज पर मु0अ0सं0 235/2024 धारा 281/106(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**